संख्या-49/2019/857ई-2/तेरह-2019-370/1999

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 मई, 2019

विषय:- मेसर्स सरशादी लाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मंसूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर को 100 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के आर0एस0 से एथनाल प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-09/दो-प्रा0डी0-21/मंसूरपुर आसवनी, दिनांक 11 अप्रैल, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से मेसर्स सरशादी लाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मंसूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर को 100 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के आर0एस0 से एथनाल प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मे0 सरशादी लाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वक्र्स, मंसूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 340 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत 68 लाख ली0 औद्योगिक क्षमता के अधीन 100 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के आर0एस0 से एथनॉल प्लान्ट के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुमति संगत शासनादेशों के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स, उद्योग मंत्रालय एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये केन्द्रराज्य के संगत प्राविधानों/नियमों/विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in